



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 ज्येष्ठ 1948 (श0)

(सं0 पटना 556) पटना, सोमवार, 1 जून 2026

परिवहन विभाग

अधिसूचना

29 मई 2026

सं० स0-06/सी0एम0टी0 (बस भाड़ा)-01/2014(खंड-II)-4209—मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या-59, 1988) की धारा-67 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल राज्य में परिचालित की जाने वाली बसों के लिये वर्ष 2021 में निर्धारित की गयी यात्री किराया की दर में प्रस्तावित वृद्धि संबंधी प्रारूप अधिसूचना संख्या-2702, दिनांक-08.04.2026 के माध्यम से परिवहन विभाग की वेबसाइट— <https://state.bihar.gov.in/transport> पर प्रकाशित करते हुए अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर उपर्युक्त अधिसूचना प्रारूप पर आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये थे।

उपर्युक्त अधिसूचना प्रारूप पर निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या-59, 1988) की धारा-67 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य में परिचालित की जाने वाली बसों के यात्री किराया की दर का पुनर्निर्धारण निम्न रूप से किया जाता है :-

क्र० सं०	बसों की श्रेणी	वर्ष 2021 में निर्धारित किराये की दर (प्रति कि०मी० प्रति यात्री) – वर्तमान में लागू	समिति द्वारा अनुशंसित किराये की दर प्रति कि०मी० प्रति यात्री					
			50 कि०मी० की दूरी तक (बढ़ोतरी 15%)	100 कि०मी० की दूरी तक (बढ़ोतरी 14%)	150 कि०मी० की दूरी तक (बढ़ोतरी 13%)	200 कि०मी० की दूरी तक (बढ़ोतरी 12%)	250 कि०मी० की दूरी तक (बढ़ोतरी 11%)	300 कि०मी० से अधिक की दूरी (बढ़ोतरी 10%)
1	साधारण बस सेवा	1.50 रु०	1.73 रु०	1.71 रु०	1.70 रु०	1.68 रु०	1.67 रु०	1.65 रु०
2	डीलक्स बस सेवा	1.70 रु०	1.96 रु०	1.94 रु०	1.92 रु०	1.90 रु०	1.89 रु०	1.87 रु०
3	डीलक्स वातानुकूलित बस सेवा	2.0 रु०	2.30 रु०	2.28 रु०	2.26 रु०	2.24 रु०	2.22 रु०	2.20 रु०

4	वॉल्वो, मर्सिडिज एवं उनके समतुल्य बस सेवा	2.50 रु0	2.88 रु0	2.85 रु0	2.83 रु0	2.80 रु0	2.78 रु0	2.75 रु0
5	नगरीय बस सेवा	1.60 रु0 (प्रथम 04 कि0मी0 के लिए प्रति कि0मी0 एवं अगले प्रत्येक 02 कि0मी0 के लिए 1.5 रु0)	1.84 रु0 (प्रथम 04 कि0मी0 के लिए प्रति कि0मी0 एवं अगले प्रत्येक 02 कि0मी0 के लिए 1.73 रु0)					

नोट :- उपर्युक्त के आलोक में बसों के प्रारंभ स्थान से गंतव्य स्थान तक के भाड़े का निर्धारण तदनुसार राज्य/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा किया जायेगा।

सामान्य शर्तें जिसके अन्तर्गत यात्री किराये की दर निर्धारित किया जायेगा –

1. उपर्युक्त दर पर Point to Point किराया निर्धारण क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा किया जायेगा।
2. नगरीय सेवा के लिए प्रथम स्टेज 04 कि0मी0 का एवं अगला स्टेज प्रत्येक 02 कि0मी0 का होगा।
3. जिला/स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रत्येक बस पड़ाव पर बस भाड़े की तालिका सुगोचर ढंग से प्रदर्शित की जायेगी।
4. निर्धारित भाड़े की दर अधिकतम दर है। अतः किसी भी परिस्थिति में निर्धारित दर से अधिक भाड़ा वसूल नहीं किया जायेगा।
5. प्रत्येक वाहन स्वामी/चालक अपने वाहन में किराये/भाड़े की तालिका को सुगोचर रूप से प्रदर्शित करेंगे।
6. वाहन स्वामी यह सुनिश्चित करेंगे कि सार्वजनिक स्थान पर यत्र-तत्र बसों का ठहराव नहीं किया जायेगा, बल्कि जिला प्रशासन/स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित बस स्टैण्ड पर ही बसों का ठहराव किया जायेगा।
7. इस भाड़े का निर्धारण बैठान क्षमता के आधार पर किया गया है। यदि इस बैठान क्षमता से अधिक यात्री को बैठाया जाता है तो उसे ओवर लोडिंग मानते हुए मोटरयान अधिनियम, 1988 में विहित प्रावधानों के आलोक में दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकेगी।
8. प्रत्येक बस में एक शिकायत पंजी संधारित की जायेगी।
9. इस संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या-7118, दिनांक-15.11.2021 को इस हद् तक संशोधित समझा जाय।
10. यह अधिसूचना दिनांक-01.06.2026 से प्रभावी होगी।

आदेश से,
राज कुमार,
सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 556-571+10-डी0टी0पी0

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>